यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजकीय सेंट मैरीज चिकित्सालय, मसूरी देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजकीय सेंट मैरीज चिकित्सालय, मसूरी देहरादून के माह 02/2019 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन, जो श्री सीटी राम मीणा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री जितेन्द्र सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 19.01.2021 से 27.01.2021 तक श्री महेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनील दत्त सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मुकेश कुमार/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.02.2019 से 20.02.2019 तक श्री एस.के. वर्मा लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी ।

1. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजकीय सैंट मैरीज चिकित्सालय मसूरी देहरादून के क्रियाकलापों के अन्तर्गत चिकित्सालय के वित्तीय व प्रशासनिक नियन्त्रण, अस्पताल परिक्षेत्र में आने वाले जन सामान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना तथा चिकित्सा से सम्बंधित अपने दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से सम्पन्न कराना है।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- मसूरी नगर पालिका एवं निकट वर्ती क्षेत्र ।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष	प्रा. अवशेष	आवंटन	व्यय	आधिक्य/बचत
2017-18	**--**	**286.86**	**286.47**	--
2018-19	**--**	**323.24**	**37.30**	--
2019-20	**--**	**11.56**	**289.43**	**286.87**
2020-21 12/2020	**--**	**2.53**	**238.78**	**236.25**

केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत, विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय का विवरण-

वित्तीय वर्ष	प्रा. अवशेष	आवंटन	व्यय	अंतिम अवशेष
2017-18	161965.25	1913846	390102.35	1685709.90
2018-19	1685709.90	1418100	1380485.70	1789324.20
2019-20	1789324.20	669491	1239384.80	1219430.40
2020-21 12/2020	1219430.40	115839	188453.40	1146816

(ii) इकाई "सी"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. प्रमुख सचिव/ सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन देहरादून
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी
4. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
5. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक / मुख्या चिकित्सा अधीक्षक
6. चिकित्सा अधीक्षक
7. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधिकारी
8. पैरामेडिकल संवर्ग / मिनिस्टीरियल संवर्ग

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजकीय सेंट मैरीज चिकित्सालय, मसूरी, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजकीय सेंट मैरीज चिकित्सालय, मसूरी, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2020 एवं 09/2020 को विस्तृत जांच हेतु तथा माह 07/2020 एवं 05/2019 को अंकगणितीय शुद्धता की जाँच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग II "ब"

प्रस्तर 01- विभिन्न माध्यमों से प्राप्त धनराशि के जमा पर चिकित्सा प्रबंधन समिति के नाम संचालित चालू खाता पर ब्याज अर्जित नहीं किये जाने के कारण ब्याज की हानि ।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 236/ चि.-2-2003-42 /2003 चिकित्सा अनुभाग-2 दिनांक 24 मार्च 2003, द्वारा उत्तराँचल के जिला चिकित्सालयों राजकीय संयुक्त चिकित्सालयों एवं बेस चिकित्सालयों आदि के प्रबन्धन हेतु प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चिकित्सा प्रबन्धन समितियों के गठन किये जाने हेतु निर्गत निर्देशों के अनुसार समिति के उद्देश्य निम्नलिखित थे ।
[1] समिति का मुख्य उद्देश्य स्वायत्व एवं स्वतन्त्र रूप से धनराशि प्राप्त कर, उसका उपयोग चिकित्सालय द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार करना है । इसके लिए समिति शासन से प्राप्त धनराशि के साथ-साथ अन्य स्रोतों यथा उपभोक्ता प्रभार, अन्य सेवाओं व सुविधाओं से प्राप्त धनराशि के अलावा दान आदि से भी धनराशि प्राप्त कर सकती है ।
[14] अपने उद्देश्यों को यथोचित ढंग से संचालन करने हेतु निधियां प्राप्त एवं उनकी व्यवस्था करना ।
[16] ऐसे उपाय करना जो बिन्दु संख्या 1 से 15 तक के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक एवं अनुभाषित हों ।
इसी अनुक्रम में प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्यों के बिन्दु संख्या (3) क्रम संख्या के अनुसार संचालक मंडल द्वारा पारित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वित् करने हेतु समिति के नियमों के अंतर्गत वित्तीय संसाधन जुटाने का प्रयास करना (10) समिति का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलवाया जायेगा तथा इसका संचालन कार्यकारिणी समिति द्वारा अधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा ।
इकाई के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जाँच में पाया गया कि, चिकित्सा प्रवंधन समिति के नाम से भारतीय स्टेट बैंक मसूरी में संचालित चालू खाता संख्या 30224443526 में चिकित्सालय द्वारा जमा की गई धनराशियों पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा था । जवकि प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्यों के बिन्दु संख्या (3) के अनुसार संचालक मंडल द्वारा पारित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वित् करने हेतु समिति के नियमों के अंतर्गत वित्तीय संसाधन जुटाने का प्रयास किया जाना उल्लेखित था; परन्तु चिकित्सालय द्वारा जमा की गई धनराशियों पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिए जाने के परिणामस्वरूप विभिन्न माध्यमों से प्राप्त धनराशि के जमा पर ब्याज अर्जित नहीं किये जाने के कारण जहाँ एक ओर चिकित्सालय / प्रवंधन समिति को प्राप्त होने वाली ब्याज की धनराशि की हानि हुई । वहीँ दूसरी ओर जानबूझ कर बैंक को ब्याज का अदेय लाभ दिया गया ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि, बैंक में खाता सम्बन्धी नियमों की जानकारी के अभाव में चालू खाता खोला गया ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश के बिन्दु संख्या (3) प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्यों के अनुसार, संचालक मंडल द्वारा पारित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वित् करने हेतु समिति के नियमों के अंतर्गत वित्तीय संसाधन जुटाने का प्रयास किया जाना उल्लेखित था परन्तु चिकित्सा प्रबंधन समिति के नाम से भारतीय स्टेट बैंक मसूरी में संचालित चालू खाता संख्या

30224443526 में चिकित्सालय द्वारा जमा की गई धनराशियों पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा था ।

अतः विभिन्न माध्यमों से प्राप्त धनराशि के जमा पर चिकित्सा प्रबंधन समिति के नाम संचालित चालू खाता पर ब्याज अर्जित नहीं किये जाने के कारण एक ओर चिकित्सालय को ब्याज की हानि हेतु वहीं दूसरी ओर जानबूझ कर बैंक को ब्याज का अदेय लाभ पहुंचाए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग II "ब"

प्रस्तर 02- औषधियों का 20 प्रतिशत रैंडम नमूने लेकर अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण नहीं कराया जाना धनराशि रुपये 10.46 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 932 / XXVIII -4-2014 -28 (8) 2012 चिकित्सा अनुभाग-4 देहरादून दिनांक 13 जुलाई 2015, के बिन्दु संख्या 18 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय चिकित्सालयों / औषधालयों के लिए एक बार में क्रय की गई विभिन्न औषधियों में से 20 प्रतिशत औषधियों के रैंडम नमूने लेकर उनका अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण कराया जाये ताकि दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके ।

औषधियों के नमूनों की जाँच हेतु शासन द्वारा अनुमोदित जांचकर्ता फर्मों के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुरूप जाँच कराई जाये । यह प्रक्रिया क्रय की गई औषधियों के प्राप्ति के एक से दो माह की अवधि के अंतर्गत ही सुनिश्चित की जाएगी ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जाँच में पाया गया कि, वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में इकाई द्वारा रुपये 1046689 की विभिन्न औषधियों का क्रय किया गया था जिनमें से 20 प्रतिशत रैंडम नमूने लेकर उनका अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण कराया जाना था; परन्तु चिकित्सालय की उदासीनता एवं नियमों की अनदेखी करते हुए औषधियों की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कराया गया । परिणामस्वरूप चिकित्सालय में इतनी ही धनराशि की औषधियों की गुणवत्ता जाँच कराये बिना ही रोगियों को वितरण किया गया ।

विगत लेखापरीक्षा में भी औषधियों का 20 प्रतिशत रैंडम नमूने लेकर अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति की गई थी परन्तु इसके बावजूद भी इकाई द्वारा नियमों का अनुपालन नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि, नियमों की जानकारी के अभाव में औषधियों का विश्लेषण नहीं कराया जा सका ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि, विगत लेखापरीक्षा में भी औषधियों का 20 प्रतिशत रैंडम नमूने लेकर अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति की गई थी परन्तु इसके बावजूद भी इकाई द्वारा नियमों का अनुपालन नहीं किया गया ।

अतः औषधियों का 20 प्रतिशत रैंडम नमूने लेकर अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थाओं से रुपये 10.46 लाख की औषधियों का विश्लेषण नहीं कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण विगत लेखापरीक्षा की आपत्ति के आलोक में अद्यतन किया जाता है ।

भाग II "ब"

प्रस्तर03:- चिकित्सा प्रबंधन समिति की निर्धारित बैठकों का आयोजन न किया जाना ।

उत्तराखंड राज्य के चिकित्सालयों के प्रबंधन में गतिशीलता तथा चिकिसकीय सेवाओं की गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार लाने हेतु सचिव, उत्तराखंड शासन के पत्र सं 236/ची-2-2003-42/2003 दिनांक 24 मार्च 2003 के अनुक्रम में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून द्वारा राज्य के चिकित्सालयों आदि के प्रबंधन हेतु प्रत्येक ज़िले में ज़िला अधिकारी की अध्यक्षता में चिकित्सा प्रबंधन समिति का गठन किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे ।

शासनादेश के अनुसार समिति का संचालन द्विस्तरीय रहेगा, (अ) संचालक मण्डल समिति (ब) प्रबंध कार्यकारिणी समिति संचालक मण्डल की सामान्य बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से की जाएगी तथा एक वार्षिक बैठक समिति के कार्य वर्ष समाप्त होने के बाद नियमानुसार होगी, जिसमें समस्त आय व्यय का अनुमोदन एवं बजट पारित करने तथा सामान्य नीति एवं कार्यक्रम पर विचार किया जाएगा।

विगत लेखापरीक्षा के दौरान बैठकों का मुद्दा उठाया गया था एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उक्त के संबंध में प्रस्तर भी निर्गत किया गया था, विगत लेखापरीक्षा के उपरांत विगत 23 माह की अवधि में सात बैठकें संचालक मण्डल की एवं दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति पर दो वार्षिक बैठकें तय थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इकाई से सामान्य बैठक एवं वार्षिक बैठक आयोजित किए जाने के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में त्रैमासिक एवं वार्षिक बैठक आयोजित की जाएगी । इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विगत लेखापरीक्षा में भी इकाई द्वारा बैठके आयोजित किए जाने का आश्वासन दिया गया था जिसका अनुपालन नहीं किया गया ।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
163/2013-14	-	02	-
138/2015-16	-	01	-
279/2018-19	-	1,2,3,4,5&6	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
163/2013-14	भाग दो (ब)-02	अप्रस्तुत	यथावत	
138/2015-16	भाग दो (ब)-01	अप्रस्तुत	यथावत	
279/2018-19	भाग दो (ब)-03	प्रस्तुत	प्रस्तर माह 02/2021 में सम्पन्न लेखापरीक्षा में भाग 2(ब) प्रस्तर सं॰ 07 के रूप में अद्यतन कर लिया गया ।	प्रस्तर-03 निस्तारित किया जाता है ।
	भाग दो (ब)-04	प्रस्तुत	प्रस्तर माह 02/2021 में सम्पन्न लेखापरीक्षा में भाग 2(ब) प्रस्तर सं॰ 05 के रूप में अद्यतन कर लिया गया ।	प्रस्तर-04 निस्तारित किया जाता है ।
	भाग दो (ब)-05	प्रस्तुत	प्रस्तर माह 02/2021 में सम्पन्न लेखापरीक्षा में भाग 2(ब) प्रस्तर सं॰ 04 के रूप में अद्यतन कर लिया गया ।	प्रस्तर-05 निस्तारित किया जाता है ।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

---------------------शून्य-----------------

<u>भाग-V</u>

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजकीय सेंट मैरीज चिकित्सालय, मसूरी देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः विगत लेखापरीक्षा के प्रस्तरों की आख्या**

2. **सतत् अनियमितताएः**---------- शून्य ----------

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डा. रमेशचन्द्र सिंह पंवार	मु.चि. अधीक्षक	028.05.18 से 05.03.20
2.	डा. यतेन्द्र सिंह	मु.चि. अधीक्षक	06.03.20 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजकीय सेंट मैरीज चिकित्सालय, मसूरी देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (ए०एम०जी०-I) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए०एम०जी०-I